Date of Submission: 29/4/2026
Date of Review: 12/7/2026
Date of Publication: August 2026

पश्चिमी राजस्थान में डाक व्यवस्था: संगठनात्मक पहलू (1750-1900 ई.)

डॉ. सोनिया शर्मा

परिचय

डाक व्यवस्था मूलत: एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अथवा राज्य अपने किसी सम्बन्धी, प्रशासनिक अधीनस्थ, समकालीन शासक अथवा सार्वजनिक सूचना हेतु पत्र, राजाज्ञा, गुप्त सूचनाएँ अथवा प्रशासनिक सूचनाएँ प्रेषित कर सकता है। इस प्रक्रिया में निर्धारित नियमितता, गति और सुरक्षात्मक प्रक्रिया का अत्यधिक महत्व है। डाक संचार का तात्पर्य किसी भी प्रकार के सम्पर्क से है, जिसमें प्राप्ति प्रक्रिया, वस्तुओ की पहुँच तथा यहाँ तक की मुद्रा के आदान-प्रदान को भी सम्मिलित किया जाता रहा है। डाक व्यवस्था की आवश्यकता तथा महत्व इस बात से है कि ये व्यक्तियों, परिवारों, अधीनस्थों, समकालीन शासकों, राज्यों और राष्ट्रीय सुरक्षात्मक ढ़ांचों को सम्बद्ध करती है। राज्य की प्रशासनिक कुशलता और उसकी सुरक्षा इस व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ी रहती है। जिस राज्य की सूचना अथवा खुफिया तंत्र कमजोर साबित होता है, शीघ्र ही वह राज्य पतनोन्मुख हो जाता है। इसलिए शासकों ने सदैव अपने सूचना तंत्र को प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया है। समाचारों एवं सूचनाओं के तीव्र व खुफिया तरीके से पहुच केन्द्रीय सत्ता की कुशलता/सफलता की कुंजी कही जा सकती है।

पश्चिमी राजपूत रियासतों में सूचनातंत्र एवं गुप्तचर व्यवस्था:

पश्चिमी राजपूत रियासतों में क्रियाशील सूचना तंत्र और गुप्तचर व्यवस्था के संगठन को समझने के लिए यहाँ पर संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं को समझना आवश्यक है। डाक-सूचना का आदान-प्रदान व खुफिया तंत्र तीन स्तरों पर संचालित था तथा तीन प्रकार की एजेन्सियों द्वारा सम्पादित होता था, जो निम्न प्रकार से है -

डाक एजेन्सीज के तीन स्तर -

1. देशी रियासती डाक व्यवस्था
2. नीजी एवं व्यावसायिक डाक व्यवस्था

3. 1818 ई. की अधीनस्थता की संधियों के पश्चात् कम्पनी डाक व्यवस्था – जो कालान्तर में सार्वजनिक डाक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई।

1. देशी रियासती डाक व्यवस्था

मुजमुई हालात व इन्तजाम राज मारवाड़ में इसे 'अव्वल देशी डाक' नाम से भी पुकारा गया है। देशी रियासती डाक–व्यवस्था सरकारी विभाग की देखरेख में ही संचालित होती थी और केवल सरकारी कामकाज हेतु ही कार्यरत थी। यह राज्य स्तर पर एक अधिकारी था, जिसका उल्लेख बहियों में 'हरकारा रो दरोगो'[1] अथवा 'डाक रो दरोगो' नामक अधिकारी के रूप में हुआ है। यह पद बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर राज्य की डाक व्यवस्था में स्थापित था। दरोगा–ए–डाक, सीधे दीवान द्वारा नियुक्त होता था और उसके प्रति उत्तरदायी था। ये दरोगा ही सम्पूर्ण राज्य से अधीनस्थ डाक कर्मिकों की नियुक्ति करता था। इसके अधीनस्थ 'वाकियानवीस', 'खबरनवीस', 'हरकारे', 'कासीद', एवं पैदक धावकों तथा घुड़सवारों की नियुक्तियाँ राज्य के परगनों और चीरों तथा गावों–कस्बों में होती थी। ये सभी अधीनस्थ उसी के प्रति उत्तरदायी रहते थे। डाक चौकिया तथा वहाँ नियुक्त घुडसवारों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इसी अधिकारी दरोगा–ए–डाक चौकी के जिम्मे थी।[2]

2. निजी एवं व्यवसायिक डाक व्यवस्था

निजी तौर पर डाक परिवहन का कार्य या तो निजी कार्य हेतु या व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय हेतु किया जाता था, ये निम्न प्रकार की थी।

(अ) महाजनी डाक (ब) ब्राह्मणी डाक (स) चिल्का डाक

(द) मिर्धा डाक (य) कबूतर डाक

(अ) महाजनी डाकः

जोधपुर में 1839 ई के पश्चात अर्थात् यह डाक महाराजा मानसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् शुरू हुई। जोधपुर में यह डाक सर्वप्रथम परसराम नामक व्यक्ति द्वारा आरम्भ की गई। उसका ठेका राज्य की तरफसे 200 रूपये में दिया जाता था। यह डाक पाली, बाली, सोजत, जैतारण, बिलाड़ा, मेड़ता, नागौर, नावां, डीडवाना, सांभर, परबतसर, जसवंतगढ़ व गोडवाड़ के इलाकों में सक्रिय थी। दलालों तथा सर्राफों द्वारा हुण्डियों का आदान–प्रदान भी इसी डाक के माध्यम से किया जाता था।[3] बीकानेर राज्य के चूरू कस्बे के मिर्जामल पोतदार जैसे प्रभावशाली व्यापारी भी महाजनी डाक से अपने क्षेत्रों में व्यापारिक कार्य करते थे। इनके स्वयं के सन्देशवाहक होते थे।[4]

(ब) ब्राह्मणी डाक:

यह डाक मुख्यत जैसलमेर के कस्बों में फलौदी तदन्नतर पोकरण, साकड़ा, व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत थी। ये डाक सुबह से शाम तक ही सीमित क्षेत्र में संचालित होती थी। इस डाक का मालिक जोधपुर में गिरधारी नामक ब्राह्मण था, वह एक व्यापारी था और उस समय 1 पैसे में 15-20 तोले वजन की चिट्ठियां भेजी जा सकती थी।[5]

(स) चिल्का डाक:

सीमित क्षेत्र में अफीम के भाव व सोदों हेतु सूचना सूर्य की रोशनी (होलोग्राफ) में चिलके द्वारा अजमेर से जोधपुर व बीकानेर तक भेजी जाती थी। बीकानेर के भीमनाथ ने सन् 1857 ई. में पैमाइश करने वाले लोगो को काँच के अक्ष से आपस में इशारे करते हुए देखकर यह विधा ईजाद की थी। भीमनाथ के भतीजे शेरनाथ ने इसे और आगे बढ़ाया। इसकी शर्त सूर्य की रोशनी आवश्यक थी। ऊँची पहाड़ियों पर से 6-7 कोस तक देखा जा सकता था। मारवाड़ में 7 चिल्के चलते थे।[6]

(द) मिर्धा डाक:

जोधपुर में मिर्धा डाक भी काफी लोकप्रिय थी। मिर्धा जाट जाति के सन्देशवाहक थे, जिन्हें तेज धावक के रूप में पहचाना जाता था।

(य) कबूतर डाक:

कतिपय स्थानों पर राज्यों में कम दूरी के लिए विशिष्ट नस्ल के कबूतरों को सूचना के साथ भेजने का उल्लेख मिलता है।[7]

3. कम्पनी डाक व्यवस्था:

देशी राज्यों में 1818 ई. के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारियों द्वारा पत्राचार और अपनी डाक का आदान-प्रदान प्रारम्भ किया गया। कम्पनी कार्यालय और अंग्रेजी क्षेत्रों से रेजीडेन्सी में जो पत्र व निर्देश दिये जाते थे, वो अंग्रेजी में होते थे। ''सुपररिन्टेन्डेंट ऑफपोस्ट'' नामक अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी पोस्ट, डाकियों के माध्यम से भेजी जाती थी। ये संगठन कम्पनी हितों हेतु कार्यरत था। कम्पनी के प्रतिनिधी रेजीडेन्सी से देशी शासकों को डाक भेजने का कार्य करते थे। कई बार देशी शासकों द्वारा उनके क्षेत्रों में उनके आवागमन पर ऐतराज भी किया जाता था। क्षेत्राधिकार तथा सप्रभुता को लेकर प्राय: प्रतिरोध रहता था।[8]

अंग्रेजी डाक-व्यवस्था का संगठन:

कालान्तर में इन देशी रियासतों में सार्वजनिक हितों में विधिवत रूप से डाकघरों

की स्थापना हुई। 'सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पोस्ट' के अधीन डाक विभाग कायम हुए। डाक सेवाओं की स्थापना वास्तव में एक क्रान्तिकारी कदम था और जन-साधारण को इससे सुविधाऐं भी उपलब्ध हुई। तत्पश्चात् डाक टिकटों का आरम्भ हुआ। 19वीं सदी के अन्तराल में रेलवे के आगमन से पार्सल और बड़ी वस्तुएँ भेजने का कार्य आरम्भ हुआ। डाक को पंजीकृत भी किया जाने लगा और अनेक डाकघरों की स्थापना की गई। चिट्ठियाँ बाटने हेतु डाकियों की नियुक्ति की जाने लगी। प्रारम्भ में डाकिये पैदल ही डाक बाटने का कार्य करते थे। सन् 1874 के पश्चात् डाक गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई।[9] 1839 ई. में महाराजा मानसिंह के काल में जोधपुर में,[10] बीकानेर महाराजा डूंगरसिंह के काल में 1872 ई. में रतनगढ़, सुजानगढ़ व चूरू में [11] तथा 1884 ई में बीकानेर में शाही डाकघर स्थापित किया गया।[12] जैसलमेर राज्य का पहला शाही डाकघर 1888 ई में स्थापित हुआ।[13]

इस तरह पश्चिमी रिसायतों में एक साथ अलग-अलग स्तरों पर सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठित डाक व्यवस्था प्रचलित थी। परन्तु 1818 ई के पश्चात् तकनीकी विस्तार ने जन-सुविधाओं को बढ़ाया और डाक-व्यवस्था सुलभ हो सकी।

मुग़ल डाक व्यवस्था एवं राजपूती डाक व्यवस्था: तुलनात्मक अध्ययन:

पश्चिमी राजपूताना की उक्त रियासतों की डाक व्यवस्था का मुग़लों की डाक व्यवस्था से साम्यता और परिवर्तन की दृष्टि से आकलन करने हेतु रियासती रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहां के शासकों ने कुछ साम्यता तथा परिवर्तन के साथ इस प्रणाली को अपना लिया था।

समानताएँ अथवा निरन्तरता:

निम्नलिखित विशेषताओं से यह उल्लेखित किया जा सकता है कि पश्चिमी राजपूताना की रियासतें, मुग़ल डाक व खुफिया तंत्र से साम्यता रखती थी।

1. राज्यों के शासक भी मुग़ल बादशाहों की तरह ही डाक व्यवस्था/सूचनातंत्र व खुफिया संचार हेतु उतने ही सचेत और संवेदनशील रहे तथा सूचनाएँ नियमित रूप से तथा सुरक्षा के साथ दरबार पहुंचती थी।
2. राज्यों में मुग़लों की भाँति ही डाक विभाग का संचालन किया जाता था। राज्य का शासक मुग़ल बादशाह की तरह ही सम्पूर्ण शक्तियों का स्त्रोत था। तत्पश्चात् राज्य का दीवान इस गतिविधि के संचालन पर नजर रखता था। डाक का सर्वोच्च अधिकारी ''दरोगा-ए-डाक चौकी'' होता था। मुगलों की भांति ही हरकारे, कासीद, जासूस, और संदेश वाहक उनके अधीनस्थ थे तथा *खबरनवीस* तथा

वाक्यानवीस भी उसी प्रकार राज्यों में कार्यरत थे। ऐसा उल्लेख राज्यों की बहियों में मिलता है।

3. मुग़ल डाक व्यवस्था की भाँति ही इन राजपूत रियासतों में डाक चौकियां तथा डाक सरायों की महती भूमिका रही।

4. मुग़ल शासकों की भाँति ही राजपूत शासकों ने उदारता से अपने डाक तंत्र में विस्तार किया तथा डाक की कुशलता तथा निष्ठा बनाये रखने हेतु समय-समय पर डाक कर्मियों, गुप्तचरों को प्रोत्साहन स्वरूप इनाम, सिरोपाव और नकदी से सम्मानित किया।[14]

5. मुग़लों की भाँति ही यहाँ के व्यापारियों ने डाक के माध्यम से ''हुंडियों'' के रूप में धनादेश भेजे।[15]

असतानताएँ एवं परिवर्तनः

निम्नाकित असमानताएँ और परिवर्तन मुग़ल डाक-खुफिया तंत्र में दिखाई पड़ती है-

1. सर्वप्रथम, डाक प्रशासन का क्षेत्राधिकार घटकर केवल राज्यों की सीमाओं तक ही रह गया था, यद्यपि उनका सम्पर्क पड़ौसी राज्यों तक भी रहा और दूरस्थ स्थानों पर धनराशि भी भेजी जाती थी। बीकानेर की 'हुंडियों की बही' में बहुतायत में ऐसी हुंडियों का उल्लेख है। इसके इतर मुगलों के लिए सम्पूर्ण भारत ही क्षेत्राधिकार था।

2. इन राज्यों में मुगलों की भाँति संगठनात्मक परिवर्तन भी था। 'वाक्यानवीस' व 'सवानिह निगार' जैसे खुफिया जासूसों का उल्लेख मुग़लों की अपेक्षा कम दिखाई देता है, यद्यपि अन्य हरकारे व पैदल संदेशवाहकों की नियुक्ति राजपूताने में अधिक होती थी।

3. अधिकारियों/कर्मचारियों के जातिगत संगठन में भी अन्तर दिखाई देता है।

4. हम देखते है कि पूर्व में पत्रों की भाषा फारसी या उर्दू होती थी। परन्तु अब फारसी के स्थान पर पत्राचार हेतु राजस्थानी/देशज भाषा का प्रयोग किया जाने लगा।

5. 19वीं सदी के अन्त तक राजपूताने में डाकघरों की नियमित रूप से स्थापना होने लगी।

6. एक विशिष्ट तथ्य यह भी मिलता है कि यदा-कदा राजपूताने के शासक 'बेगार' के द्वारा भी डाक कार्य करवाते थे[16] जो मुग़ल काल में कम दृष्टिगोचर होता है।

इस तरह जहाँ प्रारम्भिक रूप से राजपूत शासकों की डाक व्यवस्था मुग़लों की डाक व्यवस्था के सदृश्य रही, वही कालान्तर में अंग्रेजी संधियों के कारण अंग्रेजी अधिपत्य से अंग्रेजी भाषा, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग होने लगा, जो क्रमशः विकास को ही दर्शाती है।

संदर्भ

1. *ओहदा बही,* नं. 2, वि.सं. 1820–1900/ 1763–1843 ई, इमेज 106–107, जोधपुर रिकॉर्ड्स, रा.रा.अ.बी.
2. हरदयाल सिंह, *मुजमई हालात व इन्तजाम राज मारवाड़,* जोधपुर, 1883–84, पृ. 606; विक्रमसिंह भाटी, 'मारवाड़ के ऐतिहासिक समसामयिक स्रोत', *परम्परा,* भाग 165, परिशिष्ट 2, चोपासनी शोध संस्थान, जोधपुर, 2016, पृ. 117
3. पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, फ इल नं. 1, 23 सितम्बर 1805 ई, रा.रा.अ.बी.; उषा कुमारी, '19वीं सदी में मारवाड़ की डाक व्यवस्था', *आर.एच.सी. प्रोसीडिंग्स,* सेशन 13, सिरोही, 1982, पृ. 193; *परम्परा,* पूर्वोक्त, पृ. 119
4. गोविन्द अग्रवाल, 'उन्नीसवीं शताब्दी में संचार व्यवस्था', *मरूश्री,* अंक 2–3, चूरू, 1985, पृ. 28–29
5. पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, फाइल नं. 1, पूर्वोक्त; हरदयाल सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 621–23; *परम्परा,* पूर्वोक्त, पृ. 115–116
6. पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, फाइल नं. 1, पूर्वोक्त; हरदयाल सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 629–631, *परम्परा,* पूर्वोक्त, पृ. 120
7. जहाँगीर, *जहाँगीरनामा,* (सपां.) मुशी देवी प्रसाद, कलकता, 1905, पृ. 271; *ओहदा बही,* नं. 1, वि.सं. 1765–1941/1708–1884 ई, इमेज नं. 160, जोधपुर रिकॉर्ड्स.,रा.रा.अ.बी.
8. निधी शर्मा, पोस्टल सिस्टम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफराजपूताना एण्ड दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी, *आर.एच.सी. प्रोसीडिंग्स,* सेशन 33, जोधपुर, 2019, पृ. 114–118
9. फोरेन डिपार्टमेंट, जनरल (ए), फाइल नं. 1895, 18 अप्रैल 1874 ई., राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली

10. पी.आर. शाह, *राजमारवाड़ ड्यूरिंग ब्रिटिश पेरामाउन्टसी,* शारदा पब्लिशिंग हाऊस, जोधपुर, 1982, पृ. 137–138; हरदयाल सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 606
11. *कौन्सिल रे हुकमा री बही,* नं. 14, वि.सं. 1933/1876 ई., पृ. 8–9, बीकानेर रिकॉर्ड्स., रा.रा.अ.बी.
12. के.के. सहगल, *राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बीकानेर,* जयपुर, 1972, पृ. 216
13. के.के. सहगल, *राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जैसलमेर,* जयपुर, 1977, पृ. 162; *एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ जैसलमेर,* जैसलमेर, 1911, पृ. 10
14. *सनद परवाना बही,* नं. 2, वि.सं. 1822–23/1765–66 ई., इमेज 286, 353, जोधपुर रिकॉर्ड्स, रा.रा.अ.बी.
15. *हुण्डिया री विगत री बही,* नं. 246, वि.सं. 1726/1669 ई.; सोनिया शर्मा, *राजपूताना की डाक व्यवस्था,* राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर, 2025, पृ. 66
16. शिवदत्त दान बारहट, *जोधपुर राज्य का इतिहास (1753–1800 ई.)*, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1991, पृ. 222

सहायक आचार्य
राजकीय कन्या महाविद्यालय, मगरा पुंजला
जोधपुर (राजस्थान)